# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-48RAAJodhpur2023-11RTA225 Ramniwas Vs State of Rajasthan etc

रामनिवास पुत्र श्री लालूराम जाति गायणा {विश्नोई}
निवासी- फलोदी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

**ब**

**ना**

**म**

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला जोधपुर।
02. नगर पालिका फलोदी, जरिये अध्यक्ष।

रेस्पो. ...

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 रामनिवास बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि**

-------

**उपस्थित-**
श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलांट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

## <u>नि र्ण य</u>

**दिनांक : 11 अगस्त 2023**

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 अनवान रामनिवास बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 13 जनवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 696 कुल रकबा 159.59 हैक्टेयर में से 20 बीघा ग्राम फलोदी तहसील फलोदी के संबंध धारा 88 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल कारित की गई है। वादग्रस्त आराजी में 20 बीघा पर वक्त सेटलमेंट से ही अपीलांट के पूर्वजों का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी वक्त बंदोबस्त अपीलार्थी के पूर्वज उनके दादा मासिंगाराम के नाम दर्ज नही कर राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि राजकीय भूमि भूलवश दर्ज कर दी गई। जबकि इस खसरे में से 20 बीघा भूमि अपीलार्थी के दादा मासिंगाराम के नाम दर्ज होनी चाहिए थी तथा मासिंगाराम के स्वर्गवास के पश्चात अपीलार्थी के पिता लालुराम के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। मासिंगाराम के स्वर्गवास बाद लालुराम का कब्जा काश्त रहा है जो खसरा गिरदावरी से स्पष्ट है। लालुराम के पश्चात वादी अपीलार्थी का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी मे अपीलांट पीढियों से निवास कर रहा है। मौके पर पीढियों से पक्की ढाणी, पानी का टांका तथा अन्य रोजमर्रा की सुविधाएं उपलब्ध है। अपीलार्थी वक्त सेटलमेंट से ही उपरोक्त खसरे की उपरोक्त कब्जा सुदा रकबे तक राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। पूर्व में दिनांक 19.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश देने से मना कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उस वक्त नगर पालिका पक्षकार नहीं थी, अब नगर पालिका पक्षकार है तथा नगर पालिका ने किसी प्रकार का कोई जवाब पेश नहीं किया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रकरण को अपने पक्ष में बखूबी साबित किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 को खारिज फरमाया जावे तथा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को ताफैसला दावा पाबंद फरमाया जावे कि वे अपीलार्थी के खसरा नं. 696 ग्राम फलोदी में कब्जा सुदा 20 बीघा भूमि से बेदखल नहीं करे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नगर पालिका फलोदी को अवाप्त होकर राजस्व रेकर्ड में नगर पालिका फलोदी के नाम से अमल दरामद हो चुका है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कब्जे काश्त बाबत किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। कानूनन खातेदार के विरुद्ध तथा गैर खातेदार के पक्ष में किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अद्यतन जमाबंदी ग्राम फलोदी तहसील फलोदी के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 696

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 159.5997 हैक्टेयर वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या दो नगर पालिका फलोदी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में कब्जे काश्त बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज रेकर्डेड खातेदार के विरुद्ध बिना किसी अद्यतन दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंट संख्या दो के पक्ष में पाये जाते है। इन परिस्थितिया में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022 अनवान रामनिवास बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 03 जनवरी 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.08.2023

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर